माध्यमिक स्तर पर छात्राों में नागरिकता के गुणों के विकास में समाज अध्ययन शिक्षण की भूमिका : एक अध्ययन

राजीव रंजन सिंह
शोधर्थी, शिक्षा–संकाय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
राजेन्द्र नगर ;बियर हाऊस कैम्पसद्ध, मेन रोड गुदरी, छपरा ;सारणद्ध ,बिहार, पिन–८४१३०१

Received: September 06, 2018 Accepted: October 22, 2018

२.अध्ययन विषय का विवरण :

माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा मंच है जो प्राथमिक शिक्षा की कमियों का निरीक्षण कर उसे मार्गदर्शन देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एक स्तम्भ तैयार करता है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है जो दोनों तरपफ की शिक्षा के मध्य सह–सम्बन्ध बनाता है तथा राष्ट्रीय शिक्षा के गठन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। माध्यमिक शिक्षा बच्चों में रूचि, आदत, अभिवृत्ति, बौ(िक विकास, कार्य कुशलता, सामाजिकता, क्रियाशीलता इत्यादि गुणों का विकास करने में सहायता देती है। देश की आर्थिक परिस्थिति उन्नति का आधर भी माध्यमिक शिक्षा ही होती है। उल्लेखनीय है कि छात्राों में नागरिकता के गुणों के विकास में माध्यमिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि इस स्तर की शिक्षा अच्छी होती तो देश का भविष्य सँवरेगा। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा सभी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शिक्षा है।

शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है एक सपफल नागरिक बनाना। इसके लिए महत्त्वपूर्ण विषय समाज अध्ययन है। समाज अध्ययन ज्यादा महत्तपूर्ण योगदान शिक्षित व समझदार नागरिक तैयार करने में है। लोकतंत्रा के अच्छे संचालन के लिए शिक्षित नागरिक वर्ग का होना अपरिहार्य है। कोई व्यक्तिफ अच्छे नागरिक होने के गुण अनायास नहीं प्राप्त करता, उन्हें हासिल करने और बढ़ावा देने के लिए एक खास प्रकार की शिक्षा की जरूरत होती है। एक अच्छा नागरिक होने के लिए सिपर्फ भौतिक व जैविक क्रियाकलापों का जानकार होना ही कापफी नहीं है बल्कि अच्छे नागरिक को उस सामज के बारे में भी समझ होना जरूरी है जिसका वह हिस्सा है।

३. अध्ययन का परिक्षेत्रा एवं मुद्दा :

प्रसि(शिक्षाशास्त्राी जॉन डीवी ने बताया है कि एक जनतंत्राीय समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यों तथा संबंधें में निजी रूप से रूचि ले सके। इस शिक्षा को मनुष्य में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तनों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने का सामर्थ्य उत्पन्न करनी चाहिए। यह सह है कि शिक्षित होने पर ही व्यक्ति अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक हो सकता है तथा अपनेे कर्तव्यों को जनहित के लिए निभानेे में तत्पर हो सकता है। अशिक्षित जनता अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को नहीं समझ पाती है। इससे देश में सत्ताधरियों का एक ऐसे वर्ग बन जाता है जो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने लगता है। इससे जनतंत्रा का मुख्य लक्ष्य नष्ट हो जाता है। चूँकि जनतंत्राीय व्यवस्था में देश के सभी नागरिक शासन में भाग लेते है, इसीलिए उन सब से समाज अध्ययन के शिक्षा के द्वारा इतनी योग्यता अवश्य उत्पन्न की जानी चाहिए कि वे मतदान के महत्त्व को समझते हुए अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सपफलतापूर्वक निभा सके। स्पष्ट है कि समाज अध्ययन के माध्यम से छात्राों में नागरिकता के गुणों का विकास किया जाता है।

छात्राों को शिक्षा इस प्रकार से देनी चाहिए कि विद्यार्थी जीवन की वास्तविकताओं से परिचित हो जाये। शिक्षा उचित क्रियाओं के लिए विस्तृत निर्देश चाहती है। क्योंकि वास्तविक तथा गुढ़ अनुभवों द्वारा व्यक्ति उचित रूप से सीख सकता है और विद्यालय का कर्त्तव्य है कि इस प्रकार के अनुभव के लिए अवसर प्रदान कर दे, इसे अपनी क्रियाओं को केवल बौ(िक विकास की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं बाँध्ना चाहिए। अपितु संवेगात्मक तत्त्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जीवन को अनुभवों द्वारा व्यक्तियों में उचित भावनाओं का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं, प्रजातंत्रा में जो एक उत्तम नागरिक के गुण होने चाहिए, उन्हे समाज अध्ययन शिक्षण द्वारा विकसित करना चाहिए। इस प्रकार समाज अध्ययन की शिक्षा ही समानता, स्वतंत्राता, बंधुत्व, सहयोग तथा सामाजिक न्याय लाने का सशक्त साध्न है, जो छात्राों में नागरिकता के गुणों के विकास का बुनियादी आधर है। अतः माध्यमिक स्तर पर समाज अध्ययन शिक्षण का व्यापक महत्त्व है। इसकी उपादेयता से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर छात्राों में नागरिकता के गुणों के विकास में समाज अध्ययन शिक्षा की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा।

४. पूर्व अध्ययनों की समीक्षा :

घन्ड इत्यादि ;१९९१द्ध ने कनाडा में नवचारी समाज अध्ययन पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रयास किया है। इनका मानना है कि वर्तमान समाज अध्ययन मुख्यतः नागरिकता की शिक्षा पर केन्द्रित है जिसके अन्तर्गत सांस्कृतिक साक्षरता, पर बल होता है। उनका मानना है कि नवचारी पाठ्यक्रम में मुक्त सिरे बाले प्रश्न, आलोचनात्मक चिन्तन तथा समस्या समाधन कौशल पर बल दिया जाना चाहिए। समाज पाठ्यवस्तु का वास्तविक जीवन से संबंध् होना चाहिए। साथ–ही–साथ पाठ्यक्रम विकास की प्रत्येक चरण में शिक्षकों की सहभागिता होनी चाहिए। रॉस ;२००१द्ध का विचार है कि समाज–अध्ययन पाठ्यक्रम पर पुनः चिन्तन की आवश्यकता है तथा इसमें अन्वेषण एवं आलोचनात्मक चिन्तन का समावेश करने की आवश्यकता है। नागरिकता की शिक्षा में समाज अध्ययन की भूमिका की आलोचना करते हुए रॉस कहते है कि समाज अध्ययन उक्सर विवादस्पद मुद्दों से बचने का प्रयास करता है। समाज अध्ययन में आलोचनात्मक सक्रिय नागरिकता की बजाय समाजीकरण एवं अंध् देश भक्ति पर बल दिया जाता है।

ओस्लर तथा विसेन्ट ;२००२द्ध का तर्क है कि समाज अध्ययन छात्रों में राजनैनिक साक्षरता का बढ़ावा दे। इनका मानना है कि वैश्वीकरण के दौर मे वैश्विक नागरिकता की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इंग्लैड, आयरलैंड, डेनमार्क तथा नीदरलैंड के समाज अध्ययन पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण में इन्होंने पाया कि इन देशों मे बच्चों को वैश्वकीरण, लोकतांत्रिक नागरिकता, पर्यावरण, मानवाधिकार, बहुसंस्कृति तथा शान्ति की शिक्षा दी जाती है।

जैन ;२००४द्ध ने अपने लेख नागरिकशास्त्रा, नागरिक एवं मानवाधिकार में यह तर्क प्रस्तुत करते है कि नागरिक शास्त्रा में मानवाधिकार को शामिल करने से बच्चों में मानवाधिकार की समझ एवं इनके प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सकेगा। साथ-ही-साथ विद्यमान सजातीयता एवं बढ़ रहे सामाजिक बहिष्कार को भी चुनौती मिल सकेगा। इनका मानना है कि भारतीय संविधन में मौलिक अधिकारों का प्रावधन होने के बावजूद भी नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार नही मिल पाया है। इसलिए शिक्षा के द्वारा विकल्पों को तलाशना होगा। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्रा एक रास्ता हो सकता है।

जोशी ;२००६द्ध ने नैतिकता के विकास में नागरिक शास्त्रा की भूमिका का अध्ययन किया है। उनके अनुसार नैतिकता के विकास में नागरिक शास्त्रा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नागरिक शास्त्रा शिक्षण के समय शिक्षक को इसके लिए सजग एवं सचेत होना चाहिए। शिक्षण के दौरान ही उसे यह प्रयास करना चाहिए कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है।

कर्ण सिंह ;२०१०, राखी प्रकाशन, आगराद्ध ने अपनी पुस्तक 'भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ', में नागरिकता के विकास में शिक्षा की भूमिका पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनतंत्रा का सम्यक संचालन शिक्षित जनता पर ही निरभर है जो अधिकारों के संबंध में जागरूक हो तथा कर्त्तव्य को जनहित के लिए निभाने मे तत्पर हो। यदि जनता को अपने अधिकार एवं कर्त्तव्य की जानकारी नहीं होगी तो सत्ताधरियों का एक वर्ग बन जायेगा, जिसे अधिक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और जो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपेंगे। इस प्रकार जनतंत्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, नष्ट हो जायेगा। यदि जनतंत्रा को वास्तविक रूप में सपफल होना है तो यह आवश्यक है कि उसके नागरिक बुि(मान, शिक्षित, जागरूक एवं क्रियाशील हों, जो देश के कार्य में रूचि ले सके।

एन० आर० स्वरूप सक्सेना तथा संजय कुमार ने अपनी महत्त्वपूर्ण रचना शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सि(ांत में स्पष्ट किया है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में देश के सभी नागरिक शासन में भाग लेते है, इसीलिए उन सब में समाज अध्ययन शिक्षण के द्वारा इतनी योग्यता अवश्य उत्पन्न की जानी चाहिए कि वे अपने देश के हित और अहित को समझे, मतदान के महत्त्व को समझते हुए अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सपफलतापूर्वक निभा सकें। इसी दृष्टि से अब जनतंत्रा की रक्षा रक्षा के लिए प्रत्येक जनतंत्रीय देश में सर्वसाधरण की अनिवार्य समाज अध्ययन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

अशोक सेवानी तथा उमा सिंह ;२०११, अग्रवाल प्रकाशनद्ध ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा सि(ान्त एवं आधुनिक भारत में शिक्षा' में स्पष्ट किया है कि जनतंत्रा की सपफलता के लिए शिक्षा आवश्यक है। लोकतंत्रा एक शासन व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक जीवनशैली भी है। जिसमें अधिकार व कर्त्तव्यों का समान महत्त्व है। शिक्षा ही समानता, स्वतंत्राता, बंधुत्व, सहयोग तथा सामाजिक न्याय लाने का सशक्त साधन है। लोकतंत्रा की सपफलता के लिए शिक्षित जन-समुदाय का होना नितांत आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। वर्तमान काल में जनता के अशिक्षित होने के कारण तथा सामाजिक एवं बौि(क रूकावटों के कारण व्यक्ति की प्रगति मंद हो जाती है तथा जाति और समाजगत विषमता, जनतंत्रा की चारों ओर से चुनौती दे रही है।

महात्मा गांधी ने २६ जनवरी सन् १६२५ में 'यंग इंडिया' में लिखते हुए कहा था 'स्वराज्य जनता को इस प्रकार की शिक्षा देता है कि उनमें इस प्रकार का भाव विकसित हो जाये जो सता पर नियंत्राण रखे। सत्ता के दोष उसी समय दूर किये जा सकते है जब जनता को उचित ढंग की शिक्षा दी जाये और उसमें जनतंत्रीय गुणों का विकास किया जाये। उन्हों ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा ऐसी हो, जो नागरिकों को जनतंत्रा के गुणों से अवगत कराये और उन गुणों का उनमें विकास करें।

५.ज्ञान के क्षेत्रा में योगदान :

समाज अध्ययन शिक्षण में जटिल, अव्यवस्थित और तरल तथ्यों का अध्ययन शामिल रहता है। किसी भी विज्ञान के लिए जरूरी होता है कि तथ्य जैसे हैं, उन्हे सम्मानपूर्वक वैसे ही स्वीकार करके उनके साथ काम किया जाए चाहे वे तथ्य प्रकृति से सम्बन्धित हों या समाज से। प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों के प्रेक्षण, व्याख्या और विश्लेषण को व्यापहारिक बुि(और जन भावनाओं के दबावों से अलग रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। पर तब हम समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर काम करते है तो मामला इतना सरल नहीं रह जाता। हमारी व्यक्तिगत पसन्द, हमारे दृष्टिकोंणों और हमारे द्वारा किए जाने वाले तथ्यों के उन निरूपणों में प्रवेश कर जाती है जिनके साथ हमारा काम जुड़ा होता है। सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के साथ वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित ढंग से निपटने के अपने खुद के तरीके विकसित कर लिए है। ये तरीके प्राकृतिक विज्ञानों में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से भिन्न हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है, कि प्रासंगिक तथ्यों के प्रेक्षण, व्याख्या और विश्लेषण के बजाय अपनी खुद की व्यावहारिक बुि(या खुद की व्यक्तिगत पसन्द को इस्तेमाल करने के मामले में समाजविज्ञानी, प्राकृतिक विज्ञानी की तुलना में किसी भी तरह से ज्यादा स्वतंत्रा है, चाहे बात शिक्षण की हो या शोध की। समाज अध्ययन शिक्षण में भी परीक्षाओं व शिक्षण का तरीका अपरिहार्य रूप से उस नमूने का अनुसरण करने लगता है, जिसे सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों मे लागू किया गया था और जो वहाँ ठीक-ठीक काम करता हुआ प्रतीत होता है। इससे वे विरोधभास और अनिश्चितताएँ दूर हो जाती है जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के केन्द्र में मौजूद रहती हैं। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर समाजअध्ययन शिक्षण द्वारा छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास होता है। प्रस्तुत शोध में इसी बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्रा में योगदान दे सकता है।

६.अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नांकित उद्देश्यों का निरूपण किया गया है :

माध्यमिक स्तर के छात्रों में नागरिकता के गुणों के विकास में समाज अध्ययन शिक्षण की भूमिका को स्पष्ट करना।

छात्रों में नागरिकता के गुणों के विकास के लिए समाज अध्ययन शिक्षण विधि की जानकारी प्राप्त करना।

छात्रों में नागरिकता के गुणों के विकास में समाज अध्ययन शिक्षण के प्रभावों का अवलोकन करना।

अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में समाज अध्ययन शिक्षण के पाठ्यक्रम का अन्वेषण करना।

नागररिकता के बुनियादी आधर समानता, स्वतंत्राता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय लाने के सशक्त साधनों में समाज अध्ययन शिक्षण भूमिका का मूल्यांकन करना।

७.उपकल्पना :

शिक्षा में हमारे छात्रों को अपना जीवन जीने के तरीकों की जाँच-परख करने का रूख विकसित करने और जीवन जीने के दूसरे तरीकों के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही समाज अध्ययन शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हैं

समाज अध्ययन शिक्षण तथ्यों के साथ वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित ढंग से निपटने के तरीके छात्राों में विकसित करता हैं।

समाज अध्ययन शिक्षण छात्रों को उनके जीवन में नीतियों की भूमिका को स्पष्ट करती है।

समाज अध्ययन शिक्षण ही समानता, स्वतंत्राता, बंधुत्व, सहयोग तथा सामाजिक न्याय लाने का सयाक्त साधन है।

समाज अध्ययन शिक्षण का जितना अधिक व्यापक प्रसार होगा, उतना ही अधिक छात्राों मकें नागरिकता के गुणों का विकास होगा।

समाज अध्ययन शिक्षण में मूल्य, मानदण्ड होना आदि छात्राों में नागरिकता के गुणों के विकास के सपफलता के लिए अनिवार्य है।

८. अध्ययन प(ति :

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक तथा विवणात्मक अनुसंधन प्ररचना पर आधरित होगा। अध्ययन क्षेत्रा के रूप में छपरा जिला का चयन किया गया है। छपरा जिला के माध्यमिक विद्यालयों से समाज अध्ययन पढ़ने वाले ५०० छात्रा-छात्राओं का चयन कर तथ्यों का संकलन किया जाएगा। प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोतों के आधर पर तथ्यों का संकलन किया जाएगा। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत मौखिक साक्षात्कार, जीवन इतिहास एवं अवलोकन प(ति आदि का उपयोग किया जायेगा। द्वैतीयक स्रोत के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर के समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाएगा। माध्यमिक स्तर के छात्राों के शिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया जाएगा। इस प्रकार वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ प(ति पर प्रस्तुत शोध आधरित होगा। प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाएगा।